न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.
(प्रथम लिंक अधिकारी)

2025-553RAAJodhpur2025-148RTA225 Chenaram ors Vs Smt. Dropadi etc

01. चेनाराम पुत्र लाभुराम जाति जाट
02. जवरीलाल पुत्र सुरताराम जाति जाट
03. नारायणराम पुत्र धोकलराम जाति जाट
04. पेपी पत्नी मांगीलाल जाति जाट
05. पुरो पत्नी सुरताराम जाति जाट
06. बालाराम पुत्र लाभुराम जाति जाट
07. भंवरलाल पुत्र मांगीलाल जाति जाट
08. मांगी पत्नी धोकलराम जाति जाट
09. माधाराम पुत्र सुरताराम जाति जाट
10. मोडाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट
11. राणाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट
12. राणी पत्नी देराज जाति जाट
13. रामाराम पुत्र लाभु जाति जाट
14. लाधाराम पुत्र धोकलराम जाति जाट
15. विसनाराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट
16. सवाईराम पुत्र मांगीलाल जाति जाट

निवासीयान जास्ती पटवार हल्का गंगावास, तहसील कल्याणपुर जिला–बालोतरा।

अपीलाण्ट्स ...

ब
ना
म

1. श्रीमती द्रोपदी पत्नी भंवरलाल जाति जाट
2. सुरेश पुत्र भंवरलाल जाति जाट

निवासीयान– जास्ती, पटवार हल्का गंगावास तहसील कल्याणपुर जिला बालोतरा।

3. श्रीमान तहसीलदार महोदय कार्यालय कल्याणपुर।
4. श्रीमान् शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा मंडली
5. श्रीमान् शाखा प्रबंधक एसबीआई बैंक शाखा मंडली।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 12 सितंबर 2025 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, जिला बालोतरा राजस्व प्रार्थना पत्र सं 74/2023(जी.सी.एम.एस नंबर 2023/117) अनवान श्रीमती द्रोपदी व अन्य बनाम चेनाराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री महेश मेहता, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रूंगाराम कड़वासरा, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02

नि र्ण य

दिनांक : 14 जनवरी 2026

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, जिला बालोतरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/117) अनवान श्रीमती द्रोपदी व अन्य बनाम चेनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12 सितंबर 2025 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खसरा नंबर 340/339 रकबा 1.1331 हैक्टेयर मौजा जास्ती में आवागमन हेतु अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 339/158 रकबा 02.1044 हैक्टेयर में से प्रार्थना पत्र के साथ सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलांट्स को तलब किया गया तथा तहसीलदार कल्याणपुर से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण/अपीलार्थीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीगण/रेस्पो. संख्या एक के प्रार्थना पत्र का खण्डन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 सितंबर 2025 के जरिये रेस्पोंडेंट संख्या एक व दो का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलाट्स/विप्रार्थीगण को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुति का अवसर दिये बाले बाले ही पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित होने से काबिले निरस्त है। विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी, आरआई के द्वारा तैयार कर तहसीलदार के मार्फत अधीनस्थ न्यायालय में पेश की. उसमें भी स्पष्ट रूप से खसरा संख्या 340/339 सुरेश, द्रोपदी, हनुमानराम वगैरह का होने का अंकन है। हनुमानराम के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 338/158 है जो गैरमुमकिन कटाण रास्ता से मिलता हैं। इस प्रकार जिस भूमि खसरा संख्या 340/330 के लिये रास्ता चाहा है वो भूमि खसरा संख्या 338/158 से जुड़ती एक ही आकार में है, इसलिये खसरा संख्या 340/339 के लिये रास्ते की कई अत्यन्त आवश्यकता नहीं है। भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त सभी विकल्पों की जांच किये बिना मौका रिपोर्ट तैयार की गई है। धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मूल उद्देश्य आवश्यकता है, सुविधा नहीं। जब खसरा संख्या 340/339 में खसरा संख्या 338/158 में से आवागमन का रास्ता उपलब्ध है तो वर्तमान रास्ता न तो घोषित करना आवश्यक है और न ही ऐसा करना उचित ही है, फिर भी उक्त तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया जाकर अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है। इस कारण अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट्स की ओर से पूर्व में करवायी गई रजिस्ट्री में 10 फीट रास्ता पूर्व में बताया गया है जो पक्की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

सड़क से मिलता है, उस वैकल्पिक रास्ते पर आवागमन हेतु अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. को कभी मना नहीं किया गया है। रेस्पो. द्वारा केवल अपीलांट्स को परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 सितंबर 2025 को खारिज फरमाया जावे। अपीलांट्स के अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में 2023(2)डी. एन.जे.(रेव.) 1048, 2023(1)डी.एन.जे.(रेव.) 340, 2024(1)डी.एन.जे.(रेव.) 653 की न्यायिक नजीरे पेश की।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए कथन किया कि रेस्पो. संख्या एक व दो के आवागमन हेतु मौके पर अपीलाधीन रास्ता ही लघुतम एवं निकटतम रास्ता है, जिसकी ताईद विचारण न्यायालय द्वारा तलब मौका रिपोर्ट से होती है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलर्थीगण सहित उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए 251 ए के प्रावधानों के तहत लघुतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। खातेदार मांगीलाल द्वारा अपने खसरे में से मौके पर रास्ता खोल दिया है, जबकि चैनाराम वगैरह रास्ता नहीं खोल रहे। यह उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन आदेश की पालना होकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो चुका है। अपीलान्ट्स का उज्र है कि हनुमान का खसरा रोड से लगता है, जबकि इस खसरे के अन्दर द्रोपदी नाम से कोई जमाबन्दी में नाम दर्ज नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधिसम्मत आदेश पारित किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों का ससम्मान प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में परिशीलन किया गया। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक भूमि खसरा संख्या 340/339 रकबा 1.1331 हैक्टेयर में सुरेश पुत्र भंवरलाल, द्रोपदी पत्नी भंवरलाल एवं हनुमानराम पुत्र भंवरलाल सहखातेदार दर्ज है। रेस्पो. की उक्त भूमि चिपते ही स्थित भूमि खसरा संख्या 338/158 हनुमानराम पुत्र भंवरलाल सहखातेदार दर्ज है। अपीलांट का कथन है कि खसरा नंबर 338/158 की भूमि गैरमुमकिन कटाण रास्ते से मिलती हैं, जिससे रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 13.12.1999 के मुताबिक भी तत्समय खातेदारान् द्वारा भूमि खसरा नंबर 158 मी रकबा 27.16 बीघा में सें 08 बीघा भूमि का बेचान करते वक्त पूर्व दिशा में आपसी सहमति से 10 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ा गया था, जिससे प्रथमदृष्टया साबित है कि रेस्पो. के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। इस संबंध में मौका फर्द दिनांक 13.02.2025 में अंकित है कि रेस्पो. के आवागमन हेतु पूर्व में खसरा नंबर 338/158 में रास्ता मौजूद रहा है जो वर्तमान में बंद कर दिया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा उक्त विकल्पों की जांच किये बिना मौका रिपोर्ट तैयार किया जाना प्रकट होता है। विचारण न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध सभी विकल्पों की जांच किये बिना अपूर्ण मौका फर्द के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालोतरा, जिला बालोतरा द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 74/2023(जी.सी.एम.एस. नंबर 2023/117) अनवान श्रीमती द्रोपदी व अन्य बनाम चेनाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 12 सितंबर 2025 को अपास्त किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह वह उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में तहसीलदार कल्याणपुर से रेस्पो. के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध सभी रास्ते के विकल्पो की मय दूरी मौका फर्द तलब कर उस पर उभय पक्षकारान् को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पुनः विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश बिश्नोई)
प्रथम लिंक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर